<u>चेकों/लिखतों के संग्रह पर नीति</u>

बैंक का यह संग्रह नीति अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने और प्रदर्शन के लिए उच्च मानकों को स्थापित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का एक प्रतिबिंब है। यह नीति ग्राहक सेवा में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है । बैंक अपने ग्राहकों को शीघ्र संग्रह सेवा प्रदान करने के प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

इस नीति में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है :

- चेक और अन्य लिखतों का संग्रह भारत एवं विदेशों स्थित केन्द्रों पर स्थानीय रूप से देय हों ।
- लिखतों के संग्रह के लिए समय मानदंडों के बारे में हमारी प्रतिबद्धता ।
- बाहरी लिखतों के नकदीकरण निर्धारित समय के बीतर न होने पर ब्याज देय होगा।
- पारगमन में खोये संग्रह लिखतों के साथ संव्यवहार।

1. संग्रह के लिए व्यवस्था

स्थानीय चेक :

स्थानीय स्तर पर देय सभी चेकों और अन्य प्राप्य लिखतों को केन्द्र पर प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे, निर्दिष्ट कट-ऑफ समय से पहले शाखा परिसर के भीतर शाखा काउंटर और संग्रह बक्से में जमा किए गए चेकों को उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । कट-ऑफ समय के बाद और शाखा परिसर के बाहर के संग्रह बक्से तथा ऑफ-साइट एटीएम में जमा किए गए चेकों को समाशोधन के लिए अगले दिन प्रस्तुत किए जाएंगे। समाशोधन प्रक्रिया खत्म होने पर उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा सुनिश्चित करना बैंक की नीति बनें। क्लियरिंग हाउस के चेक वापसी अनुसूची के अनुसार क्रेडिट हुई राशि की निकासी पर अनुमति दी जाएगी ।

क्लियरिंग हाउस न होने पर शाखाएँ स्थानीय चेकों को अदाकर्ता बैंकों के काउंटर पर प्रस्तुत करेंगे और बैंक ऐसे चेकों का भुगतान जल्द से जल्द करने का प्रयास करेगा।

<u>त्वरित क्लियरिंग :</u>

निर्दिष्ट स्थानों पर त्वरित क्लियरिंग के सदस्य बैंकों पर आहरित बाहरी चेकों का संग्रह होगा और इसे स्थानीय चेकों के बराबर माना जाएगा । स्थानीय क्लियरिंग लिखतों के लिए लागू सभी नियम व शर्तें त्वरित क्लियरिंग के लिए भी लागू होंगी ।

<u>बाहर के चेक :</u>

उपरोक्त त्वरित क्लियरिंग के सदस्य बैंकों को छोड़ अन्य बाहरी केंद्र स्थित अन्य बैंकों पर आहरित चेकों को सामान्य रूप से उन केंद्रों पर स्थित बैंक की शाखाओं के माध्यम से संग्रह किया जाएगा। जहां बैंक की अपनी कोई शाखा नहीं है वहाँ लिखतों को सीधा अदाकर्ता बैंक को संग्रह के लिए भेजा जाएगा या फिर संपर्की बैंक के माध्यम से संग्रह किया जाएगा ।

बाहरी केन्द्रों पर बैंकों की अपनी शाखाओं पर आहरित चेक प्रचलित अंतर शाखा व्यवस्था के जरिए संग्रह किया जाएगा। शाखाएं जो केंद्रीकृत प्रक्रमण व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और अपने ग्राहकों को बैंक की किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं सीबीएस नेटवर्क में मौजूद हमारी किसी भी शाखा पर आहरित बाहरी लिखतों का भुगतान अपने ग्राहकों को उसी दिन करेंगे।

विदेशों में देय चेकों :

विदेशों में देय लिखतों को विदेशी केन्दों व संपर्की बैंकों में स्थित अपनी विदेशी शाखाओं के जरिए कुछ संपर्की बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली नकद पत्र योजना के तत्काल जमा आधार सेवा का या फिर कुछ चुनिंदा संपर्की बैंकों द्वारा लागत पर प्रदान की जाने वाली संग्रण सेवा की गैरंटी रहित अंतिम जमा आधार सेवा या

गैरटीड अंतिम जमा (बिना किसी सहारे के) सेवा का अनुसरण कर संग्रहण करेगा। शाखाओं की सेवाएँ उपलब्ध नहीं होने पर, राशि को विदेशी नोस्ट्रो खाते में जमा करने हेतु अनुरोध करते हुए लिखत को सीधे अदाकर्ता बैंक को भेजा जाएगा, जिसपर लिखत संग्रह हेतु आहरित है।

जमा के लिए लागू विनिमय दर बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में जमा तिथि व खाते की रूपांतरण तिथि पर यथा निर्धारित होगा। जिसे बैंक, दर की तिथि के आधार पर बैंक द्वारा तय किया जाएगा , जो ग्राहक के खाते में क्रेडिट की तिथि को या रूपांतरण की तारीख को लागू होंगे । टी एंड आईबीडी, मुंबई सभी चेकों को अपने कार्यालय में संग्रहीत करने और शाखाओं से संपर्की बैंक तक चेकों के पारगमन समय को गठाने के लिए अमरीकी डॉलर/यूरो/सीएडी संपर्की बैंकों के साथ एक केंद्रीकृत गठबंधन की व्यवस्था की है। अन्य मुद्राओं के मामले में शाखाएँ चेकों को संग्रह के लिए सीधे संबंधित संपर्की बैंक को भेजते हैं ।

स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों की तत्काल जमा

शाखाओं/बैंक के विस्तार काउंटरों, व्यक्तिगत खाताधारकों द्वारा संग्रह हेतु प्रस्तुत रु. 15,000/- मूल्य के बाहरी चेकों/ लिखतों को तत्काल जमा सुविधा को उपलब्ध कराने पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते कि कम से कम पिछले 6 महीने की अवधि के लिए उस खाते का आचरण संतोषजनक रहा हो । ग्राहक के अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार इस तरह के संग्रह लिखतों हेतु तत्काल जमा सुविधा उपलब्ध होगी । तत्काल जमा सुविधा स्थानीय चेकों के संबंध में ऐसे केन्द्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे जहां कोई औपचारिक क्लियरिंग हाउस मौजूद नहीं है ।

तत्काल जमा सुविधा अमरीकी डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं में नामित लिखतों के मामले में भी उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसे लिखतों के लिए बराबर रुपए प्रदान किए जाएंगे बशर्ते कि यह लिखत रु.15,000/- से ज्यादा न हो और घरेलू चेकों के लिए लागू मानदंड इसके लिए भी लागू होंगे। हालांकि, इस तरह के लिखतों के भुगतान न होने/ तिरस्कार होने पर, संबंधित ग्राहक को विनिमय दरों में पारगमन से बैंक को हुई नुकसान और अग्रिम की बकाया अवधि के लिए निर्धारित अतिदेय ब्याज दोनों का भुगतान करना होगा।

तत्काल जमा सुविधा ग्राहकों के बचत खाता/चालू/नकद ऋण खातों पर प्रदान किए जाएंगे। इस सुविधा के लिए खाता में न्यूनतम शेष राशि सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है।

इस नीति के तहत प्रीपेड लिखतों जैसे समान मूल्य के डिमांड ड्राफ्ट (अन्य बैंकों के) और ब्याज/लाभांश वारंट को समान मूल्य पर देय चेकों के साथ बराबर माना जाएगा।

तत्काल जमा प्रदान किए गए चेक अस्वीकृत/ तिरस्कृत होने पर ग्राहक को उस निधि रहित अवधि (बैंक में) के लिए वैयक्तिक ग्राहकों को मंजूर की जाने वाली ओवर ड्राफ्ट सीमाओ के लिए लागू ब्याज दर देय होगा।

इस नीति की सफलता के लिए ऐसे संतोषजनक व्यावहार युक्त खातों की आवश्यकता हैं, जो:-

(ए) कम से कम छ: महीने पहले खोला गया हो और केवाईसी मानदंडों का अनुपालन किया गया हो ।

(बी) आचरण संतोषजनक रहा हो और बैंक द्वारा कोई अनियमित व्यवहार नहीं देखा गया हो ।

(सी) वैसे चेक/लिखत, जिनके लिए तत्काल जमा सुविधा दी गई थी, वित्तीय कारणों के चलते तिरस्कृत किया गया हो।

(डी) जहां बैंक को तत्काल जमा सहित पिछले अग्रिम राशियों की वसूली करने में कोई कठिनाई नहीं हुई हो।

बाहरी लिखतों पर तत्काल क्रेडिट प्रदान करते समय बैंक द्वारा सामान्य संग्रह खर्च और तुरंत देय लागत वसूल किया जाएगा। हालांकि चेक खरीद के लिए लागू छूट लागत प्रभारित नहीं किया जाएगा।

त्वरित समाशोधन व्यवस्था के तहत संग्रहीत चेकों के लिए तत्काल क्रेडिट की सुविधा लागू नहीं होगी।

स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद (प्राप्ति)

बैंक अपने स्वनिर्णय पर, ग्राहक के विशेष अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार संग्रह के लिए प्रस्तुत स्थानीय/बाहरी चेक को खरीद सकता है। चेकों को खरीदते समय खाता के संतोषजनक आचरण और चेक के आहर्ता की स्थिति पर विचार किया जाएगा।

2. स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों का संग्रह के लिए समय सीमा

समाशोधन में प्रस्तुत स्थानीय चेक के लिए, क्रेडिट, समाशोधन में धन के निपटान की तारीख को उपलब्ध कराया जाएगा और खाता धारक को उस केंद्र में प्रचलित वापसी समाशोधन मानदंडों के अनुसार पैसे निकालने की अनुमति दी जाएगी ।

चेकों और अन्य लिखतों के लिए, जो देश के भीतर स्थित केन्द्रों पर संग्रह के लिए भेजे जाते हैं, निम्नलिखित समय मानदंड लागू होगा:

(ए) किसी बड़े मेट्रो केंद्रों पर प्रस्तुत चेकों (नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) और किसी अन्य तीन केन्द्रों पर देय: 7 दिनों की अधिकतम अवधि *।

(बी) अन्य मेट्रो केंद्रों और राज्यों की राजधानियों (पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के अलावा): 10 दिनों की अधिकतम अवधि *।

(सी) अन्य सभी केन्द्रों में: 14 दिनों की अधिकतम अवधि *।

(डी) विदेशों में आहरित चेक: इस तरह के लिखतों को 'सर्वश्रेष्ठ प्रयास' आधार पर संग्रह के लिए स्वीकार किया जाता है। बैंक इस तरह के लिखतों के शीघ्र संग्रह हेतु संपर्की बैंक के साथ मिलकर एक विशिष्ट संग्रह व्यवस्था बना सकता है।

चेक पारित होने पर बैंक संबंधित देश की विराम अवधि संबंधी नियमों को मद्दे नज़र रखते हुए पार्टी को अपने संपर्की के नोस्ट्रो खाते में जमा सुनिश्चित करेगा। क्रेडिट प्रदान करने के लिए अधिकतम समयावधि 45 दिन होगी (विराम अवधि सहित)।

* उपरोक्त संग्रह अवधि की गणना करते समय छुट्टियों को अपवर्जित किया जाएँ ।

उक्त समय मानदंड बैंक की अपनी शाखाओं में आहरित चेकों के साथ-साथ अन्य बैंकों की शाखाओं पर आहरित (सीबीएस शाखाओं को छोड़कर जिसके लिए समय मानदंड के ऊपर पैरा (क) में उल्लिखित है) चेकों के लिए भी लागू होंगे।

3. <u>स्थानीय चेकों के विलंब संग्रह पर ब्याज का भुगतान</u>

बैंक अपनी मुआवजा नीति का अनुपालन करते हुए स्थानीय चेकों के विलंबित भुगतान पर ग्राहकों को चेक की संग्रह राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। यह ब्याज सभी प्रकार के खातों के लिए ग्राहकों के अनुरोध (ब्याज हेतु) के बगैर प्रदान किया जाएगा ।

स्थानीय चेकों / लिखतों के विलंबित संग्रह पर ब्याज निम्न दरों पर भुगतान किया जाएगा:

घरेलू लिखत:

(ए) स्थानीय चेकों के संग्रह में तीन कार्य दिवस से अधिक देरी होने पर उस अवधि के लिए बचत बैंक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा (निर्धारित की गणना करते समय छुट्टियों को अपवर्जित किया जाएगा)।

(बी) जहां देरी 14 दिनों से अधिक हो, वहाँ उस अवधि के लिए सावधि जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(सी) असाधारण देरी के मामले में यानी 90 दिन से अधिक देरी होने पर उस अवधि के लिए सावधि जमा दर से 2% अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(डी) ओवर ड्राफ्ट/ ऋण खातों के भुगतान हेतु प्रस्तुत चेकों के विलंबित संग्रह संबंधी मामलों में ओवर ड्राफ्ट/ ऋण खातों (उस अवधि के लिए) के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। असाधारण विलंब के लिए, ओवरड्राफ्ट/ ऋण खाते के लिए लागू ब्याज दर+2% के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

4. बाहरी चेकों के विलंब संग्रह के लिए ब्याज का भुगतान

बैंक अपनी मुआवजा नीति का अनुपालन करते हुए अपने ग्राहकों को ऊपर (2) के तहत उल्लिखित समय अवधि के बाद होने वाले जमा संबंधी मामलों में चेक की संग्रह राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। यह भुगतान सभी प्रकार के खातों के लिए ग्राहकों के अनुरोध के बगैर (भुगतान हेतु) किया जाएगा। यहाँ बैंक अपने व पराये ग्राहकों के बीच पक्षपात नहीं दिखाएगा।

देरी संग्रह के लिए ब्याज का भुगतान निम्नांकित दरों पर किया जाएगा:

घरेलू लिखत:

(ए) बाहरी चेकों के संग्रह में. मामला चाहे जो भी हो, 7/10/14 दिनों* से अधिक देरी होने पर बचत बैंक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(बी) जहां देरी 14 दिनों दिनों से ज्यादा हो, वहाँ उस अवधि के लिए सावधि जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(सी) असाधारण देरी के मामले में, यानी 90 दिन से अधिक देरी होने पर सावधि जमा दर + 2% (उस अवधि के लिए) दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

(डी) ओवर ड्राफ्ट/ ऋण खातों के भुगतान हेतु प्रस्तुत चेकों के विलंबित संग्रह संबंधी मामलों में ओवर ड्राफ्ट/ ऋण खातों (उस अवधि के लिए) के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। असाधारण विलंब के लिए, ओवरड्राफ्ट/ ऋण खाते के लिए लागू ब्याज दर+2% के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

यह ध्यान दिया जाए कि उपरोक्त ब्याज केवल भारत के भीतर संग्रह हेतु प्रस्तुत लिखतों के लिए ही लागू होगा।

जहां लिखतों के संग्रह में समाशोधन बैंक द्वारा अनुचित देरी होने पर हमारे बैंक की प्रेषक शाखा से अपेक्षित है कि वे तत्संबंधी सूचना प्रस्तुतकर्ता को अवश्य दें ताकि उनकी तरफ से अपेक्षित कार्रवाई जैसे बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करना आदि की जा सकें। ऐसे मामलों में, समाशोधन बैंक द्वारा देरी होने पर हमारे बैंक अधिकतम अवधि की समाप्ती के बाद अर्थात् 7/10/14 दिन के बाद यथा लागू ब्याज प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

निर्धारित समय-सीमा समाप्ति से पहले यानि 7/10/14 दिन जो भी लागू हो, समाशोधक बैंक से समाशोधन सलाह प्राप्त होने पर प्रेषक शाखा से अपेक्षित है कि वे तत्संबंधी भुगतान ग्राहक के खाते में उसी दिन जमा करना सुनिश्चित करें।

* उपरोक्त संग्रह अवधि की गणना करते समय छुट्टियों को अपवर्जित किया जाएँ।

<u>अमेरिकी डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं में नामित लिखत</u>

बैंक संग्रह हेतु विदेश भेजे गए या विदेशी मुद्राओं में नामित चेकों के विलंब संग्रह पर ग्राहक को कोई भरपाई नहीं करेगी। यथाहि, बैंक विदेशी बैंकों से ससमय जमा सुनिश्चित नहीं कर सकता। बैंक ने यह पाया है कि विदेशी बैंकों पर आहरित लिखतों के संग्रह काल अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग होता है और यहां तक कि एक देश के भीतर भी एक समान नहीं होता।

प्रावधिक रूप से समाशोधित लिखतों के प्राप्य के लिए समय मानदंड भी विभिन्न देशों के लिए भिन्न-भिन्न होता है। बैंक चेक/लिखत के खरीद द्वारा ऐसे लिखतों पर अग्रिम जमा प्रदान करने पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि अतीत में उस खाते का संचालन संतोषजनक रहा हो तो। हालांकि, एक बार प्राप्य राशि संपर्की बैंक के नोस्ट्रो खाते में जमा हो जाने के बाद उसे ग्राहक को उपलब्ध कराने में अनुचित देरी हो जाती है तो बैंक उस ग्राहक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। इस तरह के मुआवज़े नोस्ट्रो खाते में जमा तारीख/ नियत तिथि से एक सप्ताह की देरी हो जाने पर निर्धारित सामान्य विराम अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाएगा।

इस प्रकार के मामलों मुआवज़ें कुछ इस प्रकार होंगे:

ए. i. नोस्ट्रो खाते में जमा तारीख/ देय तिथि से 7 दिन से ज्यादा विलंब होने पर उस अवधि के लिए जमा खाता दर पर, 45 दिनों की विराम अवधि के लिए, जो बाहरी चेकों के संग्रह हेतु निर्धारित है, को मद्दे नज़र रखते हुए प्रदान किया जाएगा। विलंब 14 दिनों से अधिक होने पर सावधि जमा दर पर (उस अवधि के लिए) ब्याज प्रदान का जाएगा।

ii. असाधारण देरी के मामले में, यानी 90 दिन से अधिक देरी होने पर सावधि जमा दर + 2% (उस अवधि के लिए) दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

iii. ओवर ड्राफ्ट/ ऋण खातों के भुगतान हेतु प्रस्तुत चेकों के विलंबित संग्रह संबंधी मामलों में ओवर ड्राफ्ट/ ऋण खातों (उस अवधि के लिए) के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। असाधारण विलंब के लिए, ओवरड्राफ्ट/ ऋण खाते के लिए लागू ब्याज दर+2% के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

बी. विदेशी विनिमय के दरों में होने वाली अप्राकृतिक विचलन के चलते होने वाली संभावित हानि के लिए क्षितिपूर्ति

<u>विलंबित जमा पर ब्याज का भुगतान (विदेश आवक विप्रेषण):</u>

फेडाई के नियमानुसार क्षितिपूर्ति प्रदान की जाएगी। फेडाई के वर्तमान नियम सं. 4.5 के अनुसार बैंक को विलंबित भुगतान व विलंबित सूचना प्रदान करने पर, जैसी भी स्थिति हो, हिताधिकारी को बचत बैंक दर से 2% अतिरिक्त क्षितिपूर्ति ऋण सलाह/ नोस्ट्रो विवरण की रसीद की प्राप्ति से 2 कार्यदिवसों के भीतर प्रदान किया जाना है।

5. पारगमन/ समाशोधन प्रक्रिया के दौरान या भुगतानकर्ता बैंक शाखा में नष्ट चेक/ लिखत:

समाशोधन हेतु स्वीकृत चेक/ लिखत पारगमन/समाशोधन प्रक्रिया के दौरान या भुगतानकर्ता बैंक शाखा व वसूलीकर्ता बैंक शाखा में नष्ट हो जाने पर बैंक तत्संबंधी सूचना तत्काल खाताधारक को प्रदान करेंगे ताकि खाताधारक वह सूचना जारीकर्ता को प्रदान कर तत्संबंधी 'भुगतान रोको आदेश' ससमय दर्ज करा सकें और उनके द्वारा जारी अन्य चेकों/ लिखतों को, यदि जारी किया गया तो, अनादृत होने से बचा सकें। बैंक अदाकर्ता से अनुलपि चेक प्राप्त करने में ग्राहक को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

बैंक अपनी क्षितिपूर्ति नीति के अनुसार पारगमन में नष्ट लिखतों के लिए ग्राहकों को यथा निम्नलिखित क्षितिपूर्ति प्रदान करेगा।

(ए) लिखत नष्ट होने की सूचना ग्राहक को निर्धारित समयावधि के बाद सूचित किए जाने पर (7/10/14- जैसी भी स्थिति हो) निर्धारित समाशोधन अवधि से अधिक अवधि के लिए ब्याज उपरोक्त दर पर प्रदान किया जाएगा।

(बी) इसके अतिरिक्त, बैंक अनुलिपि चेक की प्राप्ति व उसके समाशोधन के लिए हो सकने वाली संभावित विलंब के लिए आगे के 15 दिनों के लिए चेक राशि पर बचत बैंक खाता तुल्य दर पर ब्याज प्रदान करेगा।

(सी) बैंक ग्राहक को अनुलिपि चेक/ लिखत की प्राप्ति के लिए होने वाले उचित प्रभार की क्षितिपूर्ति योग्य रसीद की प्रस्तुति पर और किसी बैंक व वित्तीय संस्था द्वारा जारी लिखतों के मामलों में अनुलिपि लिखत जारी करने के लिए उनके द्वारा प्रभारित शुल्क की क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

भुनाए गए चेक नष्ट हो जाने पर तत्संबंधी सूचना की प्राप्ति तिथि से ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा।

6. अप्रत्याशित घटना

कुछ अप्रत्याशित घटना, जैसे जन विक्षोभ, तोड़-फोड़, लॉक-ऑउट, स्ट्राइक, बंध, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदाएँ या अन्य कोई 'ऐक्ट ऑफ गॉड', युद्ध, बैंक व उसके संपर्की बैंकों की सुविधाओं की हानि, सामान्य संचार साधन व परिवहन माध्यम का अभाव आदि, जो बैंक के अधीन नहीं है और जो बैंक को निर्धारित समय-सीमा में कार्य करने से रोकते हैं, होने पर बैंक ग्राहक को क्षितिपूर्ण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

7. तत्काल जमा हासिल चेकों की वापसी पर ब्याज प्रभारित करना

समाशोधन हेतु प्रस्तुत चेक, जिसके लिए तत्काल जमा प्रदान किया गया है, अपर्याप्त शेष के चलते वापस होने पर चेक राशि तुरंत खाते से आहरित की जाएगी। यहाँ तत्काल भुगतान की तिथि से वापसी तिथि तक की अवधि के लिए ग्राहक को कोई ब्याज प्रभारित किया जाएगा, बशर्ते कि खाते में पर्याप्त शेष मौजूद हो। शुरू में जमा न प्रदान किए जाने पर खाते की अनुमानित अध्याहरित शेष पर जहाँ कहीं लागू हो वहाँ ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

चेक की प्राप्तियों की जमा बचत खाते में की जाने की और उसके आहरण न होने की स्थिति में चेक की अवैतनिक भुगतान के लिए कोई ब्याज प्रदान नहीं किया जाएगा। प्राप्तियों की जमा ओवर ड्राफ्ट/ ऋण खाते में की जाने की स्थिति में अपर्याप्त शेष के चलते की वापसी होने पर ओवर ड्राफ्ट/ ऋण खाते के लिए लागू ब्याज से 2% की अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

8. सेवा प्रभार

सभी समाशोधन सेवाओं के लिए योग्य सेवा प्रभार की वसूली बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित और ग्राहकों को बैंक द्वारा अपनायी जाने वाली 'ग्राहकों की प्रति बैंक की प्रतिबद्धता नीति' के अंतर्गत यथा संसूचित की जाएगी।

---0--